संख्या–239 / VI / 2008–3(4)2008

प्रेषक,

श्याम सिंह,
अनुसचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक, पर्यटन,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पर्यटन अनुभाग देहरादून दिनांक 29 मार्च, 2008

विषयः–वित्तीय वर्ष 2007–2008 में चालू निर्माण कार्यो हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–710 / VI / 2007 दिनांक 05 सितम्बर, 2007 तथा शासनादेश संख्या–308 / VI / 2007 दिनांक 12 मार्च, 2008 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2007–08 में चालू निर्माण कार्य हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम रू0 1.00 करोड़ (रूपये एक करोड़ मात्र) संलग्न **बी0एम0–15** के अनुसार निदेशक पर्यटन के निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते है।

2– यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के निमयों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3– उक्त धनराशि का व्यय उन्ही योजनाओं पर किया जायेगा जिनकी वित्तीय एवं भौतिक प्रगति 75 प्रतिशत या उससे अधिक हो तथा योजनाओं पर प्रशासकीय स्वीकृति शासन स्तर से निर्गत की जायेगी।

4– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिसके लिये यह स्वीकृत की जा रही है, मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं होगा। बजट योजनावार आवंटन उसके विपरित मासिक योजनावार व्यय का विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

5– वित्तीय वर्ष के अन्त में कृत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र भी शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

6– कार्य की समयबद्वता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित निर्माण इकाई के अधिशासी अभियन्ता उत्तरदायी होगें।

7– प्रत्येक योजना में निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर एक साइनेज स्थापित कर दिया जायेगा, जिसमें कार्य का पूर्ण विवरण उत्तराखण्ड पर्यटन के "लोगों" सहित इंगित किया जायेगा, जैसा कि उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद द्वारा प्रत्येक निर्माण इकाई को इंगित किया जा चुका है।

8– समस्त लम्बित कार्यो की अद्यतन प्रगति एवं उन्हें पूर्ण करने हेतु योजनावार तैयार कार्यक्रम / पूर्ण करने की तिथि सहित समस्त विवरण शासन को उपलब्ध कराया जाय। समस्त व्ययों पर योजनावार / कार्यवार उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा। प्रयास यह किया जायेगा कि अधिक से अधिक चालू कार्य पहले पूर्ण किये जाये और जिनमें पूर्व स्वीकृत धनराशि उपयोग नहीं किया गया है, उनमें उसका उपयोग सुनिश्चित कर ही अग्रेत्तर धनराशि अवमुक्त की जाय।

9– चालू कार्यो पर धनावंटन के पूर्व कुल लम्बित कार्यो की सूचना, कार्य की लागत, स्वीकृत धनराशि व अवशेष धनराशि का विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा और उक्त धनराशि से कार्यवार आवंटन का विवरण के साथ मासिक रूप से आवंटित धनराशि के विपरित व्यय की सूचना व कार्य की भौतिक प्रगति की सूचना शासन को उपलब्ध कराकर कार्यो का सघन अनुश्रवण किया जायेगा।

10– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2008 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय / भौतिक प्रगति का विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

11– उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007–08 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक –5452–पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय–80–सामान्य–आयोजनागत–104–सम्बर्धन तथा प्रचार–04–राज्य सेक्टर–47–निर्माण कार्य चालू–24–वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

12– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0–297 / XXVII(2) / 2008, दिनांक 28 मार्च, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(श्याम सिंह)
अनुसचिव।

संख्या– 239 /VI/2008–3(4)2008 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड माजरा, देहरादून।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3– आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल।
4– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– श्री एल0एम0पन्त, अपर सचिव वित्त।
6– अपर सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
7– निजी सचिव मा0 मुख्यमन्त्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
8– निजी सचिव मा0 पर्यटन मन्त्री जी, उत्तराखण्ड शासन ।
9– समस्त जिला पर्यटन विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
10– निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड।
11– वित्त अनुभाग–2,
12– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह)
अनुसचिव।

बी0एम0-15
पुनर्विनियोग का विवरण पत्र 2007-08
नियंत्रण अधिकारी- निदेशक पर्यटन, उत्तराखण्ड देहरादून

(धनराशि हजार रुपये में)

अनुदान संख्या-26

बजट प्राविधान तथा लखाशीर्षक का विवरण	मानक मदवार अध्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष (सरप्लस) धनराशि	लखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ-5 की सकल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ -1 में अवशेष धनराशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
5452-पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय-80-सामान्य -आयोजनागत-104-सम्वर्धन तथा प्रचार- 01-कन्द्रीय आयोजनागत /केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना -02-पर्वतीय क्षेत्र में यात्रा व्यवस्था हेतु आधार भूत सुविधाओं का निर्माण-42-अन्य व्यय- ~~5,00,00~~ 4,00,00	—	—	1,00,00(क)	5452-पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय -80-सामान्य-आयोजनागत-104 -सम्वर्धन तथा प्रचार-04 -राज्य सेक्टर-47-निर्माण कार्य चालू-06-24 वृहत्त निर्माण कार्य रू0 1,00,00(ख)	6,90,00		(क)वास्तविक व्यय के पश्चात बचत सम्भावित है (ख)आय-व्ययक प्राविधान अपर्याप्त होने के कारण इस प्रयोजन हेतु अतिरिक्त आय-व्ययक की आवश्यकता है।
~~5,00,00~~ 1,00,00	—	—	1,00,00	1,00,00	6,90,00	—	

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के प्रस्तर 150,151,155,156 में उल्लिखित प्राविधानों एवं सीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

(श्याम सिंह)
अनुसचिव।

उत्तराखण्ड शासन,
वित्त अनुभाग-2
संख्या-297 / XXVII(2) / 2007
देहरादून दिनांक 28 मार्च, 2008

सेवा में,
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
ओबरॉय भवन, माजरा, देहरादून।

पुनर्विनियोग की स्वीकृति।

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव, वित्त।

संख्या- /VI/2008-3(4)2008 तद्दिनांकित
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1-वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून
2-वित्त अनुभाग-3

आज्ञा से,
(श्याम सिंह)
अनुसचिव।